



उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का मुद्दा उठाया

Posted On: 16 OCT 2017 8:55PM by PIB Delhi

पिछले कुछ दिनों से मीडिया में यह खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में नासिक की कई कृषि उत्पाद मार्केटिंग समितियां जैसे लासलगांव, पिम्पलगांव आदि दीपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में 7 से 9 दिन तक बंद रहेंगी। उपभोक्ताओं के हित में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा यह मामला महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाया गया।

इस सन्दर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को जारी किए गए निर्देशों में राज्य सरकार ने राज्य की सभी कृषि उत्पादन मार्केटिंग समितियों को यह कड़े निर्देश दिए हैं कि किसानों की उत्पाद की खरीद या बिक्री का कार्य निर्बाध रूप से जारी रखा जाए। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र कृषि उत्पाद मार्केटिंग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1963 के तहत ये निर्देश जारी किए हैं कि राज्य की सभी बाजार मार्केटिंग समितियों द्वारा, खरीद-फरोख्त के कार्य को 19.10.2017 से 22.10.2017 के बीच पड़ने वाली छुट्टियों के दौरान, आवश्यकता पड़ने पर, ही बंद रखा जाएगा। सभी बाजार मार्केटिंग समितियों द्वारा उक्त तारीखों से ठीक पहले तक तथा ठीक बाद से कृषि उत्पादों की खरीद-फरोख्त के कार्य को जारी रखा जाएगा। सभी कृषि उत्पाद मार्केट समितियों द्वारा इन निर्देशों का गम्भीरता से कार्यान्वयन किया जाएगा। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए संबंधित उत्पादन मार्केट समिति के निदेशक मंडल को उत्तरदायी ठहराया जाएगा और यदि कोई बाजार कार्यकर्ता व्यापार को बंद करता है या इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

AK

(Release ID: 1506333) Visitor Counter : 8

